न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
- आई0ए0एस0

नामान्तरण अपील सं0 03/2008

1 मूल्या उर्फ मूलचन्द पुत्र रामकुवांर जाति गुर्जर निवासी नांगल गोविन्द तहसील व जिला दौसा वर्तमान तहसील लवाण (फोत)

1/1 श्रीमति गुल्ली पत्नि मूल्या उर्फ मूलचन्द
1/2 धारासिंह पुत्र मूल्या उर्फ मूलचन्द
1/3 इन्द्राज पुत्र मूल्या उर्फ मूलचन्द
समस्त जाति गुर्जर निवासी नांगल गोविन्द तहसील दौसा वर्तमान तहसील लवाण जिला दौसा
1/4 श्रीमति उर्मिला पुत्री मूल्या उर्फ मूलचन्द पत्नि रामसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांवली तहसील जमवारामगढजिला दौसा

2 बद्री पुत्र पांचू जाति बैरवा निवासी गुगोलाव तहसील व जिला दौसा वर्तमान तहसील लवाण –(फौत)

2/1 श्रीमति ग्यारसी बेवा बद्री ।
2/2 रामलाल पुत्र बद्री ।   समस्त जाति बैरवा निवासी गुगोलाव तहसील व जिला
2/3 विनोद पुत्र बद्री ।   दौसा वर्तमान तहसील लवाण जिला दौसा
2/4 रमेश पुत्र बद्री ।
2/5 चिरंजीलाल पुत्र बद्री ।
2/6 मूलचन्द पुत्र बद्री ।
2/7 श्रीमति निर्मला पुत्री बद्री पत्नि मोहनलाल जाति बैरवानिवासी भाण्डारेज तहसील व जिला दौसा वर्तमान तहसील भाण्डारेज
2/8 श्रीमति रामश्री पुत्री बद्री पत्नि चिरंजीलाल जाति बैरवा निवासी गुर्जर निवासी बैरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा वर्तमान तहसील बहरावण्डा
2/9 श्रीमति छोटी पुत्री बद्री पत्नि मोहनलाल जाति बैरवा निवासी जामा तहसील व जिला दौसा वर्तमान तहसील कुण्डल

3. गेंदा पुत्र पांचू जाति बैरवा निवासी ग्राम गुगोलाव तहसील व जिला दौसा वर्तमान तहसील लवाण

....अपीलांट्स

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील दौसा वर्तमान तहसील लवाण जिला दौसा
2. नायब तहसीलदार लवाण तहसील लवाण जिला दौसा
3 मूली पत्नि जगदीश जाति नाई निवासी सोनड तहसीललालसोट जिला दौसा वर्तमान तहसील रामगढपचवारा – फौत
3/1 जगदीश पुत्र नामालूम पत्नि मूली जाति नाई निवासी सोनड तहसील लालसोट जिला दौसा वर्तमान तहसील रामगढ़ पचवारा (फोत)
3/2 कैलाश पुत्र मूली देवी व जगदीश जाति नाई निवासी ग्राम सोनड तहसील लालसोट जिला दौसा वर्तमानतहसील रामगढ़ पचवारा
4. पटवारी हल्का ग्राम गुगोलाव तहसील व जिला दौसा वर्तमान तहसील लवाण

....रेस्पों0

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार दौसा [illegible] 119 ग्राम गुगोलाव तहसील दौसा पर दिनांक 6–12–1978 को पारित किया गया।

उपस्थितः 1. श्री अविनाश नागर, अधिवक्ता अपीलांट्स।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:42:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय दिनांक 30.10.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील नामान्तरण इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.12.1978 जो नामान्तरण सं0 119 जो ग्राम गूगोलाव पर पारित किया गया है से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स ने यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को तलब किया गया। रेस्पों0 सं0 3 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर उपस्थित अधिवक्तागण की बहस की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस में दलील दी कि नाथी बेवा रामनाथ का देहान्त हुए अनेक वर्ष हो गये और पुत्र पुत्री या अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है किन्तु दिनांक 11.1. 2008 को रेस्पों0 सं0 3 ग्राम गूगोलाव में आई और उसने बताया कि वह नाथी की पुत्री या वारिस होने का उज्र कर उक्त भूमि का नामान्तरण अपने नाम कराकर भूमि को बेचेगी तब अपीलांट को सर्वप्रथम इस गलत नामान्तरण का आभास हुआ और 12.1.2008 को पटवारी से जमाबंदी की नकल ली तथा पता लगाते लगाते इस नामान्तरण का ज्ञान दिनांक 17.1.2008 को हुआ जिस पर नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत जिसकी नकल दिनांक 18.1.2008 को प्राप्त हुई। जिससे जानकारी से अंदर मियाद अपील पेश की जा रही है। अतः न्याय हित में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई। चूंकि नामान्तरण अपीलांट की गैर हाजरी में हुआ इसलिए जानकारी से अंदर मियाद मानी जावे। राजकीय अधिवक्ता ने दफा 5 के प्रा0पत्र पर दलील दी कि अपीलांट्स को तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश की जानकारी शुरू से ही रही है। अपीलांट्स ने यह अपील 30 वर्ष से भी अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील अत्यधिक विलंब से पेश किये जाने का कोई उचित व ठोस कारण नहीं दिया गया है। अतः अपील मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। उपस्थित अधिवक्तागण की मियाद के बिन्दु पर बहस सुनी गई। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। अतः डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।
4. तत्पश्चात मूल निगरानी बहस अधिवक्तागण सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार जी का आदेश सरासर विवि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।ग्राम गूगोलाव में स्थित भूमि खसरा नं० २७ रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा का नामान्तरण नाथी देवा रामनाथ जाति नाई निवासी गूगोलाव के नाम इस आधार पर तस्दीक कर दिया गया कि उसको ता० २२.६–७८ को बारानी खसरा नं० का आवंटन किया गया इस आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया जाता है परन्तु वस्तुतः नाथी बेवा रामनाथ को ना तो उक्त भूमि का कोई आवंटन हुआ और नाही नाथी बेवा रामनाथ को उक्त भूमि पर कोई कब्जा ही दिया गया और ना ही नाथी बेवा रामनाथ नाई का तथा कथित नामान्तरण दिनांक २२–७–७८ से लेकर आजतक कभी कोई कब्जा हुआ या काश्त की इस लिए नामान्तरण सरासर गलत है और निरस्तनीय है। उक्त खसरा नं० २७ सवा २ बीघा ८ बिस्वा वाके ग्राम गूगोलाव पर अपीलांट न० १ का कब्जा सम्वत २०१६, २०१६ से निरन्[illegible]क चला आ रहा है सं० २०१६ व २०१६ से लेकर स० २०४२ के खस[illegible] बतार अतिक्रमी चला आता है यह विश्वसनीय राजकीय [illegible]लांट की उस भूमि पर तथा कथित आवंटन पूर्व व पश्चात कब्जा होना स्पष्ट सिद्ध है [illegible] लिए नाथी बेवा रामनाथ के पक्ष में किया गया नामान्तरण सरासर गलत है और निरस्तनीय है। ता० २२४–७८ को जब नाथी बेवा रामनाथ नाई के पक्ष में आवंटन किया गया बताया उस समय स० 2034 था। संवत 2034 से

Dw
जिला कलक्टर, दौसा

भी लगभग १८ साल पूर्व से अपीलांट के कब्जे का इन्द्राज खसरा परिवर्तनशील में चला आता है जो उनके कब्जे का विश्वसनीय प्रमाण है। इस तरह उक्त भूमि खसरा नम्बर २७ खाली भूमि या अन ओकोपाइड भूमि या आवंटन योग्य ही नहीं थी और यदि आवंटन भी करना था तो आवंटन नियम १९७० के नियम 20 अनुसार अपीलांट के पक्ष में ही किया जाना चाहिए था नाथी वा रामनाथ के पदा में तथाकथित आवंटन तो सरासर गलत व शून्य इसलिए है कि अपीलांट को बेदखल किये बिना आवंटन नहीं हो सकता इसलिए तथा कथित आवंटन अवैध अमान्य शून्य होने के कारण नामान्तरण करना सरासर अवैध है। तथाकथित आवंटन की तारीख २२—४—७८ अर्थात स० २०३४ के भी लगभग 8वर्ष बाद तक अर्थात सम्वत २०४२ तक यह भूमि खसरा नं० २७ जमा बन्दी मे सिवायचक ही रही क्यों कि नाथी बेवा रामनाथ का कोई कब्जा ही नहीं हुआ और वास्तविक कब्जा स० २०३४ से २०४२ तक भी अपीलांट का ही रहा जिसका प्रमाण राजकीय खसरा परिवर्तन शील स० २०३४ ला० २०४२ है जिसको भी अपीलांट का कब्जा अंकित है इस प्रकार स्पष्ट है कि तथा कथित आवंटन बाद भी ८ वर्ष तक कब्जा अपीलांट होने का प्रमाण तो राजकीय रिकार्ड ही है इस लिए भी यह नामान्तरण निरस्तनीय है। नामान्तरण का मुख्य आधार कब्जा माना गया है आवंटन आदेश के बाद भी नामान्तरण केवल तब ही किया जा सकता है जबकि आवंटी को विधिवत कब्जा दे दिया जावे और पट्टा प्रदान कर दिया जावे आवंटन के पश्चात आवंटन अधिकारी को लाजमी है वह आवंटी का कब्जा करवावें और कब्जा करवाये जाने की लिखित रिपोर्ट आ जाने के बाद ही नामान्तरण किया जा सकता है परंतु नाथी बेवा रामनाथ नाई का कब्जा देने की कार्यवाही आज तक नही हुई क्यों कि उसको कब्जा दिया जाना तो तब ही सम्भव था जबकि दीर्घकाल से काबिज अपीलांट को बेदखल करने की कार्यवाही की गई होती। नामान्तरण करने से पूर्व कब्जे की जांच करना परम आवश्यक है बिना जाांच किये व कब्जा न होते हुए भी नामान्तरण करना गलत है और निरस्तनीय है। सन १९८७ (स० २०४३) में दौसा तहसील मे से सैटलमेंट हुआ और सहायक भू प्रबन्ध अविकारी ने नाथी बेवा रामनाथ नाई का नाम गैर खातेदार के बतोर जमाबन्दी मे सरासर गलत दर्जकर दिया इस इन्द्राज के कारण खसरा परिवर्तनशील में अपीलांट का कब्जा अंकित होना बन्द हो गया परन्तु मौके पर स० २०४३ से अब तक अर्थात स० २०६४ तक अपीलांट का ही उक्त भूमि पर कब्जा चला आता है इसलिए नामान्तरण निरस्तनीय है। दोरान सैटलमेंट उक्त खसरा नं० २७ के नम्बर बदलकर खबरा न०६३ रकबा ३३ एयर व खसरा नं० ७० रकबा २० एयर कुल किता र कुल रकबा ५३ एयर कर दिये गये और स० २०४३ मे नाथी देवा रामनाथ नाई का नाम गैर खातेदार बता कर अंकित करने के कारण भी जमाबन्दी में रिपीट होकर नाथी बेवा रामनाथ नाई गैर खातेदार अंकित चला आता है। चूंकि संवत २०१२ से २०६४ तक अर्थात 45 वर्ष से वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा चला आता है और वर्तमान में भी अपीलांट का कब्जा इस समय भी है। गत फसल भी अपीलांट ने ही काटी है। इसलिए इस गलत नामान्तरण से अपीलांट घोर प्रभावित होते है अतः वे अपील करने के अधिकारी है। प्रभावित होने कारण अपील करने की अनुमति हेतु धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अपील के संलग्न पेश है। चूंकि नाथी देवा रामनाथ का देहान्त हो चुका है यधपि रेस्पोंडेन्ट न० ३ या अन्य उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। परन्तु रेस्पों0 न० ३ उसकी उत्तराधिकारी होने का झूठा उज्र कर उसके स्थान पर रेस्पों0 सं0 4 के साज से अपने नाम नामान्तरण करवाने [illegible] इसलिए उसे नाथी के स्थान पर रेस्पों0 बनाया गया है। तथा कथित आवंटन [illegible] भी हो चुका है क्योंकि आवंटन की शर्त यह थी कि प्रथम वर्ष मे [illegible] की जायेगी वरना आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा [illegible] स्वतः ही निरस्त हो चुका है। अतः नामान्तरण निरस्तनीय है। १२ साल से अधिक [illegible] अपीलांट होने के कारण भी नाथी व बेवा रामनाथ के समस्त अधिकार समाप्त हो चुके है और कब्जा मुखालफमाना कारण भी अपीलांट को पूर्ण अधिकार प्राप्त हो चुके है इसलिए नामान्तरण निरस्तनीय है तथा नाथी बेवा

रामनाथ नाई गैर खातेदार का अंकन हटाया जाना न्यायोचित है। तथा रेस्पोडैन्ट न० ३ के नाम कोइ नामान्तरण नहीं भरा जाये यह आदेश देना भी न्यायोचित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त फरमाया जावे तथा नाथी बेवा रामनाथ का नाम हटाये जाने के आदेश प्रदान करें तथा नाथी के स्थान पर रेस्पों0 नं0. 3 का नाम न करने के आदेश फरमावें।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट के द्वारा गलत आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। तहसीलदार दौसा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पूर्णतया विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए पारित किया गया है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

6. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया।

7. अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि आवंटित भूमि खसरा नंबर 27 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा ग्राम गूगोलाव पर अपीलांट्स का कब्जा संवत 2016 व 2019 से निरंतर अब तक चला आ रहा है। अतः जब आवंटन दिनांक 22.4.1978 को किया गया था (उस समय संवत 2034 था) उस समय भी अपीलांट्स का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा था। इस संबंध में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2032 से 2035 प्रस्तुत की है जिसमें खसरा नंबर 27 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा सरकारी जमीन खाता मिल्कियत सरकार बंजड चालू सिवायचक दर्ज है। अपीलांट्स द्वारा खसरा परिवर्तनशील संवत 2039 की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें पांचू पुत्र नन्दा का कब्जा खसरा नंबर 27 पर दर्ज है, खसरा परिवर्तनशील संवत 2020 प्रस्तुत की है जिसमें खसरा नंबर 27 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा पर पांचू पुत्र नन्दा का कब्जा दर्ज है। खसरा परिवर्तनशील संवत 2033 में बद्री पुत्र पांच, संवत 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 में रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा पर पांच्या पुत्र नन्दा का कब्जा रहा है। खसरा परिवर्तनशील संवत 2043 में बद्री वगै0 पुत्र पांच्या बैरवा का व संवत 2040 में बद्री पुत्र पांचू बैरवा का खसरा नंबर 27 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा पर कब्जा दर्ज है। साथ ही नामान्तरण सं0 119 दिनांक 6.12.1978 अवलोकनीय है जिसमें नायब तहसीलदार दौसा द्वारा टिप्पणी की गई है जो इस प्रकार है "आज दिनांक 6.12.1978 को मु0 हिंगोटिया नामान्तरण पेश हुआ जो कि आम जनता की कमेटी द्वारा दिनांक 22.4.1978 को आ0 खसरा नंबर 27 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा नाथी बेवा रामनाथ नाई को आवंटित किया गया है। अतः नामान्तरण बहक गैर खातेदारी अलाटी के नाम स्वीकार है।" उक्त भूमि वर्तमान में गैर खातेदारी के रूप में दर्ज है। चूंकि इस न्यायालय के द्वारा उनवानी बद्री वगै0 बनाम सरकार प्रा0पत्र सं0 01/2008 प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2025 के द्वारा प्रश्नगत आवंटन को निरस्त किया जाकर प्रश्नगत भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश तहसीलदार लवाण को प्रदान किये जा चुके है।

8. उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण निरस्त किया जाता है। तहसीलदार लवाण को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

Dv
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 30 अक्टूबर 2025 [illegible] लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियम समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

Dv
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा